

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/च.वे. 88/अलेसे-11/2017-18 /1524

दिनांक:- 17.10.2017

कार्यालय आदेश

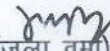
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6/ 2/एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में श्री रामप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 9 वर्ष की निरन्तर राजकीय सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)/जन्म तिथि	मेरिट नं./लिंक नं.	कार्यग्रहण तिथि	च.वेतनमान स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रामप्रकाश शर्मा 08.09.63	140/88 1694	16.04.1990	16.04.1999	9 वर्षीय एपीएआर जांच के आधार पर

श्री रामप्रकाश शर्मा की अवधि 1991-92 से 1998-99 की एपीएआर (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) अप्राप्त होने पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(20)गुप-2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7(1)(डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार पद का प्रथम चयनित वेतनमान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि यदि भविष्य में अप्राप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनो में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा तदनुसार/नियमानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री रामप्रकाश शर्मा का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक को पूर्व में प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है तथा प्रथम चयनित वेतनमान देय तिथि से गत 9 वर्ष पूर्व तक कोई दंड नहीं दिया गया है तथा इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित नहीं है एवं नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।

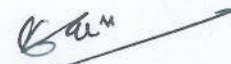

(मंजुला वमा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/च.वे. 88/अलेसे-11/2017-18 /1524

दिनांक:- 17.10.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति नीमकाथाना, सीकर।
2. श्री रामप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति नीमकाथाना, सीकर।
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. निजी/गार्ड फाईल।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।


(सांवरमल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)